संख्याः 3/2023/आई/290716/पैतीस-2-2023

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2023**

विषयः- प्रभाग के जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों के निष्प्रयोज्य हो चुके वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-216/ले0-18/2021(2), दिनांक 02.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, मथुरा, रामपुर, मुरादाबाद, बागपत, सहारनपुर, बुलन्दशहर, प्रयागराज एवं फतेहपुर (कुल 08 जनपद) के निष्प्रयोज्य/नीलाम हो चुके वाहनों के स्थान पर BOLERO B4 BS6 माडल का वाहन क्रय किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनपदों के शासकीय वाहनों को निष्प्रयोज्य/नीलाम कर दिये जाने के फलस्वरूप आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 08 नये वाहन माडल BOLERO B4 BS6 लागत सभी कर सहित रू0 रू0 8,45,283/- प्रतिवाहन, कुल लागत रू0 67,62,264/- (8,45,283×08=67,62,264) (रू0 सड़सठ लाख बासठ हजार दो सौ चौसठ मात्र) क्रय किये जाने की अनुमति सहित रू0 67,62,264/- की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करती है :-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले प्रश्नगत वाहनों एवं उसकी सामग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(2) प्रश्नगत वाहन जिसकी नीलामी हुई है, वह राजकीय वाहन है तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) प्रश्नगत वाहन का क्रय, निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल पर किया जायेगा।

(5) निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप पूर्व में अन्य वाहन क्रय नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-112-सांख्यिकीय-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय- 14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई0-5-237-x-2022-2023, दिनॉक 17 मार्च , 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 3/2023/आई/290716 (1)/पैंतीस-2-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।